



जयपुर नगर निगम

नये सीवर सम्बन्ध हेतु आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा भरने हेतु, जो लागू हो उस खाने में करें अन्य खाने में करे)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जहां सीवर सम्बन्ध लेना है
4. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल..... वर्गमीटर
5. भवन का निर्मित क्षेत्रफल..... वर्गमीटर
6. भवन/स्थान की श्रेणी निजी आवास/राजकीय आवासगृह/कार्यालय/दुकान/अन्य
7. आवेदक की स्थिति : मालिक/किरायेदार/कब्जेदार
8. क. आवेदक का स्थायी पता.....

- ख. आवेदक का व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान का पता
9. सीवर सम्बन्ध का प्रयोजन : घरेलु/व्यावसायिक/औद्योगिक जगह 10. प्रकार स्थाई/अस्थायी
11. सीवर सम्बन्ध की साइज 100 एम. एम. 150 एम. एम.
12. जल सम्बन्ध की खाता संख्या

मैं सीवरेज नियमों के सम्बन्ध में समय समय पर प्रभावशाली समस्त नियमों तथा विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न की जा रही है—

(1) जल सम्बन्ध का गत माह का बिल

अन्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि जहां पर सीवर सम्बन्ध लिया जा रहा है। उस परिसर का जल सम्बन्ध स्वयं के नाम ही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सीवर सम्बन्ध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचना :

1. आपका सीवर सम्बन्ध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी के बिल में सीवर टैक्स वसूली की राशि अंकित ना हो तो सीवर सम्बन्ध की सूचना की पर्ची लेकर, सम्बन्धित सहायक अभियंता से सम्पर्क करें।
2. आपके यहां लगे मेनहोल की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. यदि आपका बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की राशि प्राप्त करें।
4. बिल सम्बन्धी शिकायत होने पर सहायक अभियन्ता के कार्यालय में सम्पर्क करें। वहां पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
5. सीवर लाइन में सीवर कनेक्शन के तहत यदि मेन हॉल अथवा सीवर लाईन टूट फूट होगी तो उसको सही अपने खर्चे पर कराऊंगा अन्यथा निगम द्वारा सही करने पर नियम द्वारा जारी किये गये डिमांड के अनुसार निगम कोष में जमा कराऊंगा।
6. सीवर कनेक्शन का स्टॉपलाइन पर रोकना उचित होगा। घर का समस्त पानी निकासी जैसे रसोई, बाथरूम व लैट्रिन का कनेक्शन सीवर में करें।
7. सीवर कनेक्शन रजिस्टर्ड एवं अधिकृत ठेकेदार द्वारा ही कराया जावे।

गुलाबी नगर जयपुर को स्वच्छ व हरा रखें।

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी निर्देश एवं सूचना पढ़कर हस्ताक्षर किये हैं।

पानी बचाओं, बिजली बचाओं, सबको पढ़ाओं।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पत्नि श्री
निवासी

जयपुर का हूँ षपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त निवास स्थान का मैं स्वयं मालिक हूँ। यह कि मैं आपके कार्यालय द्वारा एक सीवर कनेक्शन उक्त प्लाट में करवाना चाहता/चाहती हूँ। इस आवेदन को प्रस्तुत किया जा रहा है—

1. यह कि सीवर कनेक्शन के तहत यदि मेनहोल अथवा सीवर या लाईन में टूट-फूट होगी तो उसको अपने स्वयं के खर्चे से सही करवाउंगा/करवाउंगी, या निगम द्वारा सही करने पर नियमानुसार जारी किये गये डिमाण्ड के अनुसार निगम के कोष में राशि जमा कराउंगा/कराउंगी।
2. यह कि घर का समस्त पानी निकास, जैसे रसोई, स्नानघर,, लेट्रिन का गन्दा पानी, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप फिटिंग कराके मास्टर ट्रेप लगे निजी सीवर चैम्बर में लाया जाकर सरकारी मेन होल से मिलान कर डिस्पोजल किया जायेगा।
3. यह कि आवेदन प्रपत्र में क्रम संख्या 1-7 के नियम का पालन करुंगा/करुंगी इसके अतिरिक्त भविष्य में कनेक्शन चार्ज व सीवरेज टैक्स सम्बन्ध में जो भी नियम/निर्देश होंगे मेरे द्वारा पालन किये जायेगे।
4. यह कि मैं, सीवर कनेक्शन में सहभागिता लागू होने व जमा नहीं करायी गई होने पर निर्देशानुसार कनेक्शन स्वीकृति के साथ जमा कराने हेतु सहमत हूँ।
5. यह कि सीवर कनेक्शन की राशि जमा करने के उपरान्त 15 दिवस के रजिस्टर्ड प्लम्बर द्वारा सीवर कनेक्शन फिटिंग पूर्ण कराने का विहित प्रमाण पत्र कार्यालय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही है व इसमें मेरे द्वारा अण्डरटेकिंग की पालना की जायेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

आयुक्त कार्यालय
.....जोन
जयपुर नगर निगम, जयपुर
मांग पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

मैसर्स

.....

.....

विषय :- आप द्वारा आवेदित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला ईमारत/मल्टिप्लेक्स भवन/होटल/हॉस्पिटल/अन्य सीवर कनेक्शन पत्रावली स्वीकृत किये जाने बाबत।

सन्दर्भ :- पत्रावली संख्या दिनांक

विषयान्तर्गत सन्दर्भित क्रम में सूचित किया जाता है कि आवेदित भवन, पता

.....

..... के लिए सीवर कनेक्शन की स्वीकृति हेतु कृपया पत्र प्राप्ति के सात दिवस में निम्नानुसार नगर निगम के अधिकृत ठेकेदार से ब्रू थ्रूड एवं जोन कार्यालय के मांग पत्र के अनुसार राशि जमा करावें :-

1. सीवर कनेक्शन हेतु अन्य राशि के अलावा 10 वर्षों का सीवरेज टैक्स एक साथ जमा कराके (निजी स्रोत से निस्तारण हेतु प्रतिवर्ष सीवरेज टैक्स जमा कराने की छूट का लाभ हमेशा के लिए लेने पर) जमा कराई जाने वाली राशि :- (शब्दों में)

रु

आयुक्त

..... जोन

नगर निगम, जयपुर

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र का इन्द्राज किया | पंजिका क्रमांक दिनांक

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

साइट रिपोर्ट

1. सीवर लाइन की भवन/स्थान से दूरी मीटर
2. जल सम्बन्ध है तो बिल खाता सं. 1..... 2
3. रोड कटिंग का विवरण माप मीटर माप
मीटर मीटर प्रकार : पेवर/साधारण डामर/डब्ल्यू बी.एम./पत्थर के
चौके/सीमेंट कंकरीट राषि (1) रोडकट
(2) सीवर कनेक्शन

योग :

दिनांक

कनिष्ठ अभियन्ता

लेखाकार

सहायक अभियन्ता

स्वीकृति जारी करें/स्वीकृति जारी नहीं करें।

आयुक्त/राजस्व अधिकारी

सीवर सम्बन्ध प्रतिवेदन

1. सीवर सम्बन्ध चालू करने की दिनांक
2. सीवर सम्बन्ध के पाइप की साईज
3. पंजिका क्रं. सं.
4. आवंटित खाता सं. जिससे सीवर टैक्स वसूल किया जाना है
सर्विस सं.
5. विशेष विवरण

सम्बन्धित लिपिक के हस्ताक्षर

लेखाकार

रसीद आवेदन पत्र

श्री/श्रीमती/कुमार से (स्थान)
..... पर सीवर संबंध हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।
दिनांक

सीवर संबंध लिपिक

(कार्यालय मोहर)